भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4191

उत्तर देने की तारीख : 18.07.2019

एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति

4191. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री केसिनेनी श्रीनिवासः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लघु व्यवसाय, जो देश में रोजगार के 50 प्रतिशत हैं, विमुद्रीकरण के कारण लगातार अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्म उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसके कारणों को चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है और उनकी आर्थिक और वित्तीय वहनीयता के लिए दीर्घावधी समाधन का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा कौन-सी प्रमुख सिफारिशें की गई हैं तथा आरबीआई की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आरबीआई ने विमुद्रीकरण, जीएसटी और निधि के मौजूदा अभाव के कारण नुकसानग्रस्त लघु व्यवसायों को राहत प्रदान करने हेतु घरेलू एमएमएमई के लिए 5000 करोड़ रुपये की संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या समिति ने जोखिम पूँजी और निजी इक्विटी फर्मों, जो एमएसएमई में निवेश कर रहे हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रायोजित निधि बनाने का सुझाव दिया है; और

(च) क्या पैनल ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के स्थान पर एमएसएमई कोड को लाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में एमएसएमई विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रारम्भिक आकलन रिपोर्ट के अनुसार, विमुद्रीकरण का प्रतिकूल प्रभाव केवल अस्थाई रहा है।

(ख): जी हां, ।

(ग): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। समिति ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए विधायी और संस्थागत ढांचे, वित्त तक पहुंच, क्षमता निर्माण और नई प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों की सिफ़ारिशें की है।

(घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ड.): समिति ने 10,000 करोड़ रूपए की निधियों की निधि के एक सरकारी प्रायोजित कोष की स्थापना का सुझाव दिया है जो वैंचर कैपिटल से क्राउड फंडिंग और एमएसएमई में निवेश करने वाले निजी इक्विटी फर्मों को सहयोग करेगा।

(च): समिति ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को एक व्यापक और समग्र एमएसएमई कोड के रूप में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है जो नीति और पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली पर आधारित हो।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आकांक्षी/पिछड़े जिलों सहित भारत के सभी भागों में एमएसएमई के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है जिसमें प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम(एमएससी-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के लिए संवर्धन योजना, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन सौर चरखा (एमएससी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम(ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) शामिल है।

*****